न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **38 / 2017** अपील (राजस्व)

1. श्री मोहनलाल पिता श्री डालचन्द मेघवाल जी मेघवाल, निवासी गुलाबनगर, खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती डालीबाई पत्नि श्री मोहनलाल जी मेघवाल, निवासी गुलाबनगर, खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर, अन्तर्गत प्रकरण संख्या 42 / 2017 नाजायज कब्जा धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम दिनांक 21.07.2017

उपस्थित : 1. श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—06.10.17

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा राजस्व ग्राम मडिगपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 209 रकबा 3 बिघा, 204 / 2—210, 207, 210 / 2 रकबा 1 / 2 बिघा (10 बिस्वा) कुल किता 2 रकबा 3 बिघा 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये तथा शास्ति आरोपित कर दी गई। उक्त आराजीयात अपीलार्थी संख्या 2 के खातेदारी एवं आधिपत्य की है जिस पर अपीलार्थी संख्या 2 का

अतिक्रमण नहीं हैं। आराजी संख्या 209 रकबा 3 बिघा पर अपीलार्थी संख्या 2 का कब्जा उनके पूर्वाधिकारी के समय से यानि 1983 के पूर्व से है तथा अपीलार्थीया एवं उसके पूर्वाधिकारी के द्वारा काफी मेहनत कर भूमि को काश्त योग्य बनाया गया है। अपीलार्थी संख्या 2 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी का होकर कृषि का व्यवसाय करता हैं। ऐसी स्थिति में वह भूमि को नियमन कराने की पात्रता रखती हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी संख्या 2 को अपने आदेश के पूर्व किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई एवं अपीलार्थी संख्या 1 के नाम कार्यवाही संस्थित कर अपीलार्थी संख्या 1 को ही धारा 91 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलार्थी संख्या 1 ने दिनांक 21.07.17 को आवेदन प्रस्तुत कर यह तथ्य प्रकट किया कि कथित भूमि पर उसका कब्जा नहीं होकर कब्जा अपीलार्थी संख्या 2 का हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं करने, अपीलार्थी संख्या 2 को बेदखली के पूर्व नोटिस जारी नहीं करने एवं गुणावगुण पर निर्णय नहीं करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की हैं। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होकर काबिल निरस्त के है तथा मामले को नियमन कमेटी के समक्ष नहीं रखकर अपनी अधिकारीता का प्रयोग नहीं किया गया हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मामले को नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कराया जाकर नियमन करने की अनुशंसा के साथ नियमन कमेटी को सौंपा जावें।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात श्रीमती डालीबाई के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि होकर उसके द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया हैं। उक्त आराजीयात पर श्रीमती डालीबाई का कब्जा उसके पुर्वाधिकारीयो के समय से सन् 1983 से चला आ रहा हैं जिस पर डालीबाई एवं उसके पुर्वाधिकारीयों द्वारा काफी मेहनत कर भूमि को काबिल काश्त बनाया गया हैं। श्रीमती डालीबाई भूमिहीन काश्तकार है एवं उसका व्यवसाय कृषि हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा बिना अपीलार्थी संख्या 2 को कोई सूचना दिये कथित आदेश पारित कर दिया एवं श्री मोहनलाल मेघवाल के नाम कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री मोहनलाल को ही धारा 91 का नोटिस जारी किया। जिस पर श्री मोहनलाल ने दिनांक 21.07.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह तथ्य प्रकट किया कि कथित भूमि पर उसका कब्जा नहीं होकर श्रीमती डालीबाई का कब्जा हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर भी कोई विचार नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.17 को अपास्त फरमाया जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अतिक्रमी मोहनलाल पिता डांलचन्द मेघवाल राज्य कर्मचारी है सीनीयर सैकण्डरी स्कुल वाणियातलाई में अध्यापक हैं। राजस्थान भू. राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 में राजकीय कर्मचारी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। वह भूमिहीन किसान नही हैं। ऐसी स्थिति में आवंटन नियम के क्लॉज 20 की परीभाषा में अतिक्रमी नहीं आता हैं। चाहे उसका कब्जा कितना भी पुराना हों।

उसके नाम आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया बेदखली का आदेश उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अतिक्रमी मोहनलाल पिता डालचन्द मेघवाल निवासी गुलाबनगर, खेरोदा, तहसील वल्लभनगर का होकर राजकीय कर्मचारी हैं। वर्तमान में वह सीनियर सैकण्डरी स्कुल, वणियातलाई में अध्यापक हैं। राजस्थान भु राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के उपनियम 2(iii–ख) के (क) के अनुसार राज्य कर्मचारी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। नाही वे सद्भाविक काश्तकार हैं। आवंटन नियम के उपनियम 20 के तहत वे अतिक्रमित भूमि के आवंटन/नियमन की पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 42/17 नाजायज कब्जा में आदेश दिनांक 21.07.17 से दिये गये आदेश विधिक हैं। आदेश जारी किये जाने में किसी प्रकार के कानुन का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। अतः दिये गये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं होने से आदेश दिनांक 21.07.17 को यथावत रखा जाता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर